

- शिक्षा, मानव संसाधन विकास का सार है, जो देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को संतुलित करने में महत्वपूर्ण और उपचारात्मक भूमिका निभाती है।
- भारत के नागरिक इसके सबसे मूल्यवान संसाधन हैं, ऐसे में एक अरब से अधिक जनसंख्या वाले मजबूत देश को अपने नागरिकों के बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन देने के लिए मौलिक शिक्षा के रूप में विकास और देखभाल की आवश्यकता है।
- इसके लिए उनके समग्र विकास की आवश्यकता है, जोकि शिक्षा की मजबूत नींव के निर्माण से किया जा सकता है।

- मंत्रालय ने समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों के शैक्षणिक विकास पर जोर देने के लिए कई नए कदम उठाए हैं जैसे:
 1. अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति का गठन।
 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति का गठन।
 3. छात्रों के लिए राष्ट्रीय साधन सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) जैसी पहल।
 4. माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय योजना।
 5. रैगिंग के विरुद्ध एक वेब पोर्टल विकसित करना।
- वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय दो विभागों-स्कूल शिक्षा विभाग तथा साक्षरता और उच्चतर शिक्षा विभाग के जरिए कार्य करता है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार और सर्वशिक्षा अभियान

- आरटीई अधिनियम, 2009/एसएसए भारत के संविधान की धारा 21ए के फलस्वरूप निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम, देश में वर्ष 2010 में लागू हुआ।
- आरटीई अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को किसी औपचारिक स्कूल में समानता के आधार पर प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
- सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने-अपने आरटीई नियमों की अधिसूचना जारी कर चुके हैं।
- केंद्र प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), आरटीई अधिनियम को लागू करने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों में सहयोग और समर्थन देता है।



प्राथमिक शिक्षा हेतु सर्व सुलभता

- प्राथमिक शिक्षा की सर्व सुलभता के लिए, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम 2001 से लागू किया गया है। इसने शिक्षा को निष्पक्ष और सर्वसुलभ बनाने में काफी प्रगति की है।
 - **नये स्कूल:** सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पिछले वर्षों में सर्व सुलभता के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रगति निरंतर बनी हुई है।
 - **स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाने हेतु विशेष प्रशिक्षण:** आरटीई अधिनियम में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को उनकी आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षाओं में प्रवेश देने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।
- इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम, प्रवासी, दिव्यांग, शहरी वंचित, कामकाजी, अन्य कठिन परिस्थितियों से आए बच्चे-यथा दुर्गम स्थानों में रहने वाले बच्चे, विस्थापित परिवारों के बच्चे और गृहयुद्ध प्रभावित क्षेत्रों के बच्चे, इत्यादि सम्मिलित हैं।
- **यूनीफॉर्म (वर्दी/पोशाक):** आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम सरकारी स्कूलों में सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है।
- सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी बालिकाओं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों को स्कूली वर्दी के दो-दो सेट दिए जाते हैं।
- वर्दी देने का यह प्रावधान उस स्थिति में लागू होता है जहां:
 - राज्य सरकारों ने अपने-अपने आरटीई कानूनों में यह प्रावधान किया है कि स्कूली वर्दी बच्चों का अधिकार है।
 - राज्य सरकार अपने बजट से पहले से ही वर्दी नहीं दे रही होती है।
 - प्राथमिक शिक्षा में लड़कों-लड़कियों की संख्या में अंतर को दूर करना
- **बालिका शिक्षा:** आरटीआई-एसएसए लड़कियों और वंचित तथा कमजोर वर्गों के बच्चों की शिक्षा पर स्पष्ट जोर और विशेष ध्यान देता है।
- एसएसए के तहत सामान्य हस्तक्षेप सभी लड़कियों और वंचित तथा कमजोर वर्गों के बच्चों पर लागू होता है।
- इसमें आरटीई नियमों के अनुसार बस्तियों के अंदर ही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों, वर्दी, पाठ्यपुस्तकों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है, क्योंकि यह बच्चों का वह वर्ग है जो शिक्षा के अवसर से सबसे अधिक वंचित है।

- **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी):** कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) अनु. जा., अनु. जन. जा., अ. पि.व/मुस्लिम समुदायों और बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों की लड़कियों के आवासीय विद्यालय हैं।
- ये विद्यालय उन विकास खंडों में खोले गए हैं जो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और जहां विद्यालय काफी दूरी पर हैं तथा लड़कियों की सुरक्षा एक चुनौती है।
- केजीबीवी उन किशोरियों को शिक्षा देने के लिए खोले गए हैं जो नियमित विद्यालयों में जाने में असमर्थ हैं। ये विद्यालय उन बालिकाओं के लिए हैं जो दस वर्ष से अधिक आयु की हैं तथा प्राथमिक शिक्षा नहीं पूरी कर सकी हैं और पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुकी हैं।
- ये विद्यालय उन किशोरियों के लिए भी हैं जो दुर्गम और बिखरी हुई आबादी वाले उन क्षेत्रों के प्रवासी परिवारों से आती हैं, जो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पात्रता नहीं रखते।
- **जेंडर के आधार पर स्कूल पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों से हटाना:** राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 के दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए राज्यों ने जेंडर को बालिकाओं और महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व के जरिए बदलाव का महत्वपूर्ण नमूना स्थापित करने का सुविचारित निर्णय लिया है।
- अधिकतर राज्यों ने बालिकाओं की भर्ती, अनुत्तीर्णता और शिक्षा पूरी करने जैसे विषयों से निपटने के लिए अपनी नियमित शाला प्रबंधन समिति (एसएमसी) के प्रशिक्षण मॉड्यूल में जेंडर को शामिल किया है।
- **बालिका शिक्षा के उन्नयन हेतु डिजिटल जेंडर एटलस:** विद्यालयीन शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अपनी वेबसाइट पर भारत में बालिका शिक्षा की प्रगति पर एक एटलस तैयार किया है।
- यूनीसेफ की सहायता से निर्मित यह साधन क्षेत्रों की पहचान में मदद करेगा जहां पर अनु. जा., अनु. जन जाति और मुस्लिम समुदायों जैसे वंचित वर्गों की बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति कमजोर है।
- **बालिकाओं के लिए अलग शौचालय:** सर्वशिक्षा अभियान के तहत राज्य, स्कूल/गांव/ब्लॉक और जिला स्तर पर आवश्यकता के आधार पर स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं के बारे में योजना बनाते हैं।
- इन सुविधाओं में शौचालय और पेयजल भी शामिल है।
- सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत सभी नए स्कूलों में बालिकाओं और बालकों के लिए शौचालय की सुविधा है।

समावेशी शिक्षा

- ☛ अनु. जाति/अनु. जनजाति और मुसलमान: प्राथमिक स्कूलों में अनु. जाति के बच्चों का पंजीकरण 2015-16 में बढ़कर 19.8 प्रतिशत हो गया जो 2010-11 में 19.06 प्रतिशत था।
- ☛ यह (2011 की जनगणना के अनुसार), देश की कुल आबादी में इनकी 8.60 प्रतिशत संख्या से अधिक है।
- ☛ मुसलमानों का पंजीकरण 2010-11 के 12.50 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 13.8 प्रतिशत हो गया।
- ☛ यह इनकी 14.2 प्रतिशत आबादी (2011 की जनगणना के अनुसार) से थोड़ा कम है।
- ☛ दिव्यांग बच्चे: आरटीई-एसएसए यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि हर दिव्यांग बच्चे को चाहे वह किसी भी प्रकार से और कितना भी अशक्त क्यों न हो उसे उपयोगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।
- ☛ ऐसे बच्चों के लिए एसएसए हस्तक्षेप के मुख्य घटकों में शामिल हैं-शिनाख्त, क्रियाशीलता तथा औपचारिक आकलन; पर्याप्त शैक्षिक नियोजन, वैयक्तिक शिक्षा योजना की तैयारी; सहायक तथा उपकरणों का प्रावधान; शिक्षक प्रशिक्षण; संसाधन समर्थन; पुरातत्वीय बाधाओं को हटाना; निगरानी तथा मूल्यांकन और विकलांग बालिकाओं पर विशेष ध्यान देना।
- ☛ बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकें: सभी बच्चों को आठवीं कक्षा तक निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं।
- ☛ 2016-17 में 8.38 करोड़ बच्चों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया।

सर्वशिक्षा अभियान के तहत उप-कार्यक्रम

- ☛ पढ़े भारत, बढ़े भारत: सर्व शिक्षा अभियान के इस उपकार्यक्रम का उद्देश्य पहली और दूसरी कक्षा में समझ के साथ पढ़ाई, लिखाई और गणित पर जोर देते हुए बुनियादी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है।
- ☛ राज्य और केंद्रशासित प्रदेश विशिष्ट हस्तक्षेप लागू कर रहे हैं। तमिलनाडु में एबीएल, कर्नाटक में नल्ली काली और गुजरात में प्रज्ञा के तहत पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षक प्रशिक्षण का मॉड्यूल विकसित करने के कदम उठाए गए हैं।
- ☛ सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का उद्देश्य 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को विज्ञान, गणित तथा प्रौद्योगिकी की ओर आकर्षित व प्रेरित करना है।
- ☛ ऐसा, कक्षा के अंदर और बाहर अवलोकन प्रयोग, चित्रकला तथा मॉडल निर्माण जैसी गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है।
- ☛ सर्वशिक्षा अभियान के तहत एक अन्य उप-कार्यक्रम विद्यांजलि

है। इसका उद्देश्य सर्वशिक्षा अभियान के तत्वाधान में देशभर के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना है।

- ☛ इसके अलावा स्वयंसेवियों की सेवाओं के जरिए सरकारी विद्यालयों में सह-शैक्षिक गतिविधियों को प्रभावी तरीके से लागू करना है।
- ☛ सर्वशिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की निगरानी की पहल शगुन पोर्टल: मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 'शगुन' नाम का एक वेब पोर्टल विकसित किया है। 'शगुन' शाला और गुणवत्ता शब्दों से निकला है।

शिक्षक प्रशिक्षण

- ☛ शिक्षकों की उपलब्धता: प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के तहत 2016-17 तक 19.49 लाख अतिरिक्त पदों की मंजूरी दी गई है।
- ☛ शिक्षा का अधिकार के तहत यह अनिवार्य है कि शिक्षक पद पर केवल उन्हीं की नियुक्ति की जा सकती है जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा-टीईटी पास की हो।
- ☛ सेवाकाल में शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षकों के कौशल के उन्नयन के लिए उनके सेवाकाल में एसएसए सभी शिक्षकों को वर्ष में 20 दिन का प्रशिक्षण देता है।
- ☛ एनसीटीई मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किए जा चुके प्रत्येक अप्रशिक्षित शिक्षक को दो वर्ष तक सलान 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है।
- ☛ इसके अलावा नई भर्ती वाले प्रशिक्षित शिक्षकों को एक महीने का प्रवेश प्रशिक्षण दिया जाता।
- ☛ सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्कूलों में सुधार के लिए विषयवस्तु तथा तौर-तरीकों सहित, अध्यापन संबंधी सभी मुद्दों पर जोर दिया जाता है।
- ☛ शिक्षकों के लिए सुदूर शिक्षा कार्यक्रम: कर्मिकों और संस्थानों के क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप-जिला स्तर पर इग्नू तथा विभिन्न राज्यों में अन्य शिक्षक शिक्षा संस्थानों की सहायता की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
- ☛ सुदूर शिक्षा कार्यक्रम के तहत अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए सुदूर शिक्षा सामग्री की डिजाइनिंग, विकास, उत्पादन तथा आपूर्ति में सहायता प्रदान की जाती है।

शिक्षण सहायता प्रणाली

- ☛ शैक्षिक सहायता ढांचा: शिक्षकों को विकेंद्रीकृत शैक्षिक सहायता देने, उनके प्रशिक्षण तथा निरीक्षण के लिए प्रत्येक ब्लॉक और क्लस्टर में संसाधन केंद्र बनाए गए हैं।

- ❶ देश भर में 6,759 ब्लॉक संसाधन केंद्र और 76,064 क्लस्टर संसाधन केंद्र बनाए गए हैं।
- ❷ स्कूल और शिक्षक अनुदान: एसएसए, प्रासंगिक शिक्षण सहायता के लिए सभी शिक्षकों को 500 रुपये का अनुदान देता है।
- ❸ डाइट और बीआरसी, विषय संबंधी कम कीमत की शिक्षण सहायक सामग्री विकसित करने के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
- ❹ हर एक स्कूल को 7,500 रुपये रखरखाव के लिए दिए जाते हैं। प्रत्येक नए प्राथमिक विद्यालय को 'टीचिंग, लर्निंग इक्विपमेंट' अनुदान के रूप में एकमुश्त 20,000 रुपये और इससे उच्च स्तर के विद्यालयों को 50,000 रुपये दिए जाते हैं।
- ❺ कंप्यूटर की सहायता से पढ़ाई: एसएसए के तहत स्कूलों में कंप्यूटर की मदद से पढ़ाई के लिए प्रत्येक जिले को 50 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है।
- ❻ यह स्कूलों को कंप्यूटर उपकरणों अथवा प्रयोगशालाओं, पाठ्यक्रम आधारित ई-लर्निंग सामग्री के स्थानीय भाषा में विकास और कंप्यूटर में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए होता है।
- ❼ प्रवीणता वृद्धि कार्यक्रम: इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले के लिए एसएसए के कुल व्यय का दो प्रतिशत उपलब्ध कराया जाता है।
- ❽ इस कार्यक्रम का उद्देश्य अध्ययन प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार कर अच्छे नतीजे हासिल करना है।

आरटीई कानून की धारा 12(1)(ग) के तहत प्रवेश

- ❶ इसके तहत गैर-सहायता प्राप्त सभी निजी और विशेष श्रेणी के स्कूलों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना अनिवार्य किया गया है।
- ❷ एसएसए के तहत भारत सरकार निजी और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत प्रवेश पर किया गया व्यय राज्यों को वापस देगी।
- ❸ यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रति बच्चा लागत नियमों पर आधारित होगा और एसएसए वार्षिक कार्ययोजना और बजट राशि का अधिकतम 20 प्रतिशत तक होगा।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

- ❶ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) योजना 2009 में शुरू की गई थी। इसका, उद्देश्य और अधिक बच्चों को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना तथा उसकी गुणवत्ता सुधारना है।
- ❷ इसमें बस्तियों में उचित दूरी पर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- ❸ इसका एक उद्देश्य यह भी है कि 2022 तक सकल भर्ती

अनुपात (जीईआर) शत प्रतिशत हो जाए और सभी स्कूली बच्चे पढ़ाई जारी रखें।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कुछ पहल

- ❶ शाला सिद्धि: 2015 में स्कूल मानक तथा मूल्यांकन तंत्र और इसका वेब पोर्टल शुरू किया गया। स्कूलों में सुधार के लिए उनके मूल्यांकन के वास्ते यह एक व्यापक माध्यम है।
- ❷ राष्ट्रीय शिक्षा नियोजन और प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा विकसित इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलों को अपने कार्य निष्पादन के अधिक दक्ष और संकेद्रित तरीके से मूल्यांकन में सक्षम बनाना है।
- ❸ शाला दर्पण: सभी 1,099 केंद्रीय विद्यालयों के लिए शाला दर्पण परियोजना 2015 में शुरू की गई थी।
- ❹ इसका उद्देश्य विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा समुदायों के लिए स्कूल प्रबंधन प्रणाली पर आधारित सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
- ❺ स्कूल सूचना सेवाओं के तहत ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी-स्कूल प्रोफाइल प्रबंधन, विद्यार्थी प्रोफाइल प्रबंधन, नियोक्ता की जानकारी, विद्यार्थियों की उपस्थिति, अवकाश प्रबंध, रिपोर्ट कार्ड, पाठ्यक्रम पता लगाने की तरीका, विद्यार्थियों/प्रशासन के लिए विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की उपस्थिति के बारे में एसएमएस अलर्ट।
- ❻ जीआईएस मैपिंग: जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों ने एनआईसी के साथ स्कूलों की शेयर्ड जियोग्राफिक को ओर्डिनेट्स और जीआईएस मैपिंग की है।
- ❼ इस मैपिंग को यूडीआईएसई डाटा बेस से लिंक किया गया गया है ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक स्कूल की मैपिंग की गई है और यह यूडीआईएसई जानकारी पर आधारित विस्तृत स्कूल रिपोर्ट के अनुरूप है।
- ❽ कक्षा दस के लिए राष्ट्रीय निष्पादन सर्वेक्षण: मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पहली बार कक्षा दस के लिए राष्ट्रीय निष्पादन सर्वेक्षण किया।
- ❹ इसमें पांच विषयों- अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और आधुनिक भारतीय भाषा में विद्यार्थियों के निष्पादन का परीक्षण किया जाता है।
- ❺ बच्चों की उपलब्धि विभिन्न पृष्ठभूमि कारकों पर निर्भर है। सर्वेक्षण में इस बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की जाती है।
- ❻ नीति-निर्माता, पाठ्यक्रम तैयार करने वाले और अन्य संबद्ध पक्षों को, निष्पादन स्कोर तथा पृष्ठभूमि के गहराई से विश्लेषण से अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है।

- ❑ **कला उत्सव:** मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कला उत्सव पहल का उद्देश्य शिक्षा में कला (संगीत, थियेटर, नृत्य, दृश्य कला तथा शिल्प) को बढ़ावा देना है।
- ❑ उच्चतर शिक्षा के स्तर पर स्कूली विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को पोषण और प्रदर्शन से ऐसा किया जाता है। यह, कलाओं को समग्र रूप में महत्व देने का एक मंच भी है।
- ❑ **विज्ञान तथा गणित पर संकेंद्रण:** 2015 में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शुरू किया गया।
- ❑ इसके तहत विज्ञान और गणित के 1.04 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया, इन विषयों के किट दिए गए विद्यार्थियों के लिए विज्ञान केंद्रों तथा संग्रहालयों के भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा विज्ञान का विशेष शिक्षण दिया गया, वैदिक गणित का शिक्षण दिया गया और जिला स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई।
- ❑ **शिक्षा में नवाचार के लिए आईसीटी का इस्तेमाल करते हुए शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार:** आईसीटी के तहत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण में आईसीटी के इस्तेमाल और कंप्यूटर से पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए आईसीटी के अभिनय इस्तेमाल के लिए शिक्षकों और उनके प्रशिक्षकों को प्रेरित करने के वास्ते राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का प्रावधान है।

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

- ❖ माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की इस केंद्र प्रायोजित योजना को 2014 में संशोधित किया गया था ताकि इसे राष्ट्रीय कौशल पात्रता संरचना (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप बनाया जा सके।
- ❖ जिसका एनवीईक्यूएफ का इसमें विलय भी कर दिया गया है। इस योजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत लागू की जा रही है।
- ❖ इसका उद्देश्य मांग के अनुसार प्रतिस्पर्धा आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के जरिए युवाओं के रोजगार में वृद्धि करना; मल्टी एंट्री, मल्टी एग्जिट अध्ययन अवसरों के प्रावधानों के जरिए प्रतिस्पर्धा तथा पात्रता में वर्टिकल मोबिलिटी/इंटरचेंज योग्यता बनाए रखना; शिक्षित तथा रोजगार पाने के योग्य लोगों के बीच अंतर को पाटना।
- ❖ माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या कम करना और माध्यमिक शिक्षा स्तर पर दबाव कम करना है।

योजना का दायरा

- ❖ यह योजना 2016-17 तक 32 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 7,448 स्कूलों में 17 क्षेत्रों में लागू की गई है।
- ❖ ये क्षेत्र हैं—कृषि, वस्त्र, ऑटोमोबाइल, सौन्दर्य तथा फिटनेस, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, बीमा, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रचालन तंत्र, मीडिया तथा मनोरंजन, बहु कौशल शारीरिक शिक्षा तथा खेल, खुदरा, सुरक्षा, दूरसंचार और पर्यटन तथा आतिथ्य।
- ❖ देशभर में 5,582 सरकारी स्कूलों के लगभग 4 लाख 86 हजार बच्चे व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा की योजना

- ❖ यह योजना विकलांग बच्चों के लिए पहले की एकीकृत शिक्षा योजना के स्थान पर 2009-10 में शुरू की गई थी।
- ❖ माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत लागू किया गया है।
- ❖ इसके अंतर्गत कक्षा IX से XII तक के विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा में मदद दी जाती है। इसका उद्देश्य सभी विकलांग बच्चों की आठ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद माध्यमिक स्कूल (IX से XII) की और चार वर्ष की पढ़ाई, समग्र और अनुकूल माहौल में जारी रखने में सहायता करना है।
- ❖ यह योजना उन सभी बच्चों के लिए है जो प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद माध्यमिक स्तर पर सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो दिव्यांगता अधिनियम, 1995 तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की परिभाषा के तहत एक या अधिक प्रकार से दिव्यांग हैं।
- ❖ इनमें शामिल हैं: (i) दृष्टिहीनता, (ii) कम दृष्टि, (iii) कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति, (iv) बधिर, (v) लोको-मोटर अशक्तता, (vi) मानसिक अस्वस्थता, (vii) मानसिक अस्वस्थता, (viii) मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति, आत्मविमोह, (ix) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। यह योजना उनके लिए भी है जो बोलने, समझने में अक्षम हैं।

शिक्षक शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना

(क) शिक्षक शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाना

- ❖ केंद्र प्रायोजित शिक्षक शिक्षा योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1987 में शुरू की गई थी। इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में संशोधित किया गया।
- ❖ इसका उद्देश्य 2011 तक सभी जिलों में डाइट स्थापित करना।

(ख) शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता

- अलग कैडर बनाना: वार्षिक कार्ययोजना और बजट (2016-17) के अनुसार 17 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने शिक्षक शिक्षा योजना के तहत इन शिक्षकों को अलग कैडर बनाया है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से इस कैडर को मजबूत करने को भी कहा गया है।

सीएसएसटीई योजना के तहत नई गतिविधियां/पहल

- इंडिया टीचर एजुकेशन पोर्टल (प्रशिक्षक): मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूलों शिक्षा तथा साहित्य विभाग ने 2016 में यह पोर्टल शुरू किया।
- इससे शिक्षक विकास संस्थानों की निगरानी और भावी विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को अपनी पसंद का संस्थान चुनने के लिए विस्तृत जानकारी मिल सकेगी।

अल्पसंख्यक संस्थान के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास

- यह योजना अल्पसंख्यक संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं का विकास कर अल्पसंख्यकों की शिक्षा में मदद करती है। यह योजना समूचे देश में लागू है।
- इसके तहत सहायता प्राप्त निजी/गैर सहायता प्राप्त प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों के ढांचागत विकास के लिए 75 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रति स्कूल यह राशि अधिकतम 50 लाख रुपये होगी।
- केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वे कम से कम पिछले 3 वर्ष से काम कर रहे हों और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों ने बड़ी संख्या में इनमें दाखिला लिया हो।

राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना

- बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने की यह केंद्र प्रायोजित योजना 2008 में शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य ऐसा माहौल बनाना है जिसमें माध्यमिक स्कूलों में विशेषकर अनु. जा./अनु. जनजाति की बालिकाओं के प्रवेश को बढ़ावा दिया जा सके और स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या में कमी की जा सके।
- इस योजना के अंतर्गत नवीं कक्षा की अविवाहित पात्र लड़कियों के नाम पर 3,000 रुपये साविधिक खाते में जमा किए जाते हैं।
- यह राशि वे दसवीं कक्षा पास करने और 18 वर्ष की होने पर ब्याज के साथ निकलवा सकती है। यह योजना
 - अनु. जा./अनु. जनजाति से संबंध रखने वाली आठवीं पास करने वाली और

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (क्या वे अनु. जा./अनु. जनजाति से संबंध हैं इस पर विचार किए बिना) से आठवीं पास करने वाली और राज्य सरकार, सरकारी सहायता तथा स्थानीय निकाय स्कूलों में दसवीं में प्रवेश लेने वाली लड़कियों के लिए है। केनरा बैंक इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है।

वयस्क शिक्षा

- स्वतंत्रता के समय भारत की 86 प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर थी इसलिए वयस्क, शिक्षा का जोर इसके सबसे नीचे के स्तर पर अर्थात् 'बुनियादी साक्षरता' पर ही था।
- इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, प्रथम योजना अवधि से ही अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए।
- इनमें से जो सबसे प्रमुख एवं प्रतिष्ठित है, वह है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। यह 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए 1988 में शुरू किया गया था।
- वयस्क शिक्षा का उद्देश्य साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता में सुधार कर पूर्ण साक्षर समाज का निर्माण करना है।
- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को 2009 में संशोधित कर इसे साक्षर भारत का नाम दिया गया। नये मिशन में आजीवन शिक्षा का नया आयाम जोड़ा गया है।
- देश की साक्षरता दर में पर्याप्त प्रगति हुई है परंतु अब भी विभिन्न राज्यों, जिलों, सामाजिक समूहों और अल्प संख्यकों में साक्षरता का स्तर असमान हैं।
- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास की सभी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संचालक और कार्यान्वयन संगठन है।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान साक्षरता दर को बढ़ाकर 80 प्रतिशत तक करने और लड़कों-लड़कियों की संख्या का अंतर 10 प्रतिशत से कम करने का प्रयास किया जाता रहा है।

केंद्रीय विद्यालय संगठन

- केंद्रीय विद्यालय संगठन योजना को भारत सरकार ने दूसरे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर 1962 में मंजूरी दी थी।
- इसका उद्देश्य यह व्यवस्था करना था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के तबादले की स्थिति में उनके बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट न आए।
- केंद्रीय विद्यालय संगठन की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय की एक इकाई के रूप में की गई थी।
- शुरुआत में शिक्षण वर्ष 1963-64 के दौरान कर्मियों की अधिकता वाले स्थानों पर संचालित 20 रेजीमेंट्स स्कूलों का

अधिग्रहण केंद्रीय विद्यालय के रूप में किया गया।

- ❖ केंद्रीय विद्यालय संगठन की 1965 में समिति पंजीकरण अधिनियम (1860 का 21) के तहत एक समिति के रूप में पंजीकृत किया गया।
- ❖ संगठन का प्राथमिक उद्देश्य समूचे भारत और विदेश स्थित केंद्रीय विद्यालयों का स्थापना निधियन, रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन करना हैं
- ❖ भारत सरकार पूरी तरह संगठन का वित्त पोषण करती है।

जवाहर नवोदय विद्यालय

- ❖ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य आवासीय नवोदय स्कूलों की स्थापना करना है ताकि समानता और सामाजिक न्याय के साथ उत्कृष्ट शिक्षा दी जा सके।
- ❖ इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नवोदय विद्यालय समिति को समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया।
- ❖ नवोदय विद्यालय की स्थापना विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावन बच्चों में, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का भेदभाव किए बगैर मूल्यों, वातावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक गतिविधियों तथा शारीरिक शिक्षा सहित गुणवत्ता पूर्ण आधुनिक शिक्षा देने के लिए की गई थी।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

- ❖ राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद-एनसीईआरटी स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शैक्षिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है।
- ❖ इसकी स्थापना 1 सितंबर, 1961 में एक शीर्ष राष्ट्रीय निकाय के रूप में की गई थी। परिषद नीतियां, कानून और सरकारों के मार्गदर्शन के लिए सलाहकार की भूमिका निभाती है।
- ❖ इसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968-1986) और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निरूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिषद द्वारा किए गए अनुसंधान से नई योजना, नीतियां तथा कार्यक्रम बनाने में मदद मिलती है।
- ❖ परिषद शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों और परामर्शदाताओं के लिए आवश्यकता आधारित तथा नवाचार वाले पाठ्यक्रम तैयार करती है।
- ❖ इसके द्वारा विकसित पाठ्यक्रम और अन्य अध्ययन सामग्री से स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने में सहायता मिली है। एनसीईआरटी ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अपने पिछले 50 वर्ष के कामकाज से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।
- ❖ यह भारत का एक अनूठा संस्थान है जो अनुसंधान करता है, कुशल शैक्षिक व्यवसायी तैयार करता है और पाठ्यक्रम तथा

पाठ्य सामग्री तैयार करता है।

परिषद की प्रमुख इकाइयां हैं-

- (क) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली।
- (ख) केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली।
- (ग) पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल।
- (घ) अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर तथा उमियम (मेघालय) में क्षेत्रीय संस्थान।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

- ❖ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड - सीबीएसई, केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक और प्राइवेट स्कूलों का बोर्ड है।
- ❖ बोर्ड ने अपने सभी संबद्ध स्कूलों से कहा है कि वे केवल एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम ही लागू करें।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान

- ❖ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान-एनआईओएस, किसी संस्थान से जुड़े बिना डिग्री पूर्व स्तर की शिक्षा पाने के इच्छुक बाहरी व्यक्तियों के लिए हैं।
- ❖ इसकी शुरुआत 1989 में सीबीएसई ने अपनी ही तरह की परियोजना के तौर पर की थी।
- ❖ 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने मुक्त विद्यालय प्रणाली की मजबूत करने का सुझाव दिया ताकि देश भर में माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर अपने पाठ्यक्रम और परीक्षा के बाद प्रमाण-पत्र देने की स्वतंत्र व्यवस्था के साथ चरणबद्ध रूप से मुक्त शिक्षा की सुविधा दी जा सके।
- ❖ इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1989 में राष्ट्रीय खुला विद्यालय की स्थापना की।
- ❖ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान मुक्त तथा सुदूर शिक्षा के जरिए निम्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम उपलब्ध कराकर शिक्षा पाने के इच्छुक लोगों को अवसर प्रदान करता है।
- ❖ 14 वर्ष से अधिक आयु के किशोर तथा प्रौढ़ समूह के लिए मुक्त मौलिक शिक्षा कार्यक्रम, क, ख तथा ग स्तर पर शिक्षित करने का है जोकि तीसरी, पांचवी तथा आठवीं की औपचारिक स्कूल प्रणाली के बराबर है।
- ❖ इसमें माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम/पाठ्यक्रम, जीवन समृद्धि कार्यक्रम शामिल है।
- ❖ माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, संस्थान मनपसंद विषयों/पाठ्यक्रमों, सीखने की गति

तथा सीबीएसई से मान्यता का अंतरण, स्कूल शिक्षा का कोई बोर्ड और राज्य मुक्त स्कूल के संदर्भ में हर प्रकार की छूट होती है।

- ☉ इनमें शिक्षा प्राप्त करने वालों को पांच वर्ष की अवधि में सार्वजनिक परीक्षा में नौ बार बैठने का मौका दिया जाता है।
- ☉ शिक्षा के तरीकों में शामिल हैं-मुद्रित स्व-निर्देशक सामग्री, दृश्य व श्रव्य कार्यक्रम, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों में भागीदारी तथा शिक्षक द्वारा चिन्हित कार्य।
- ☉ छमाही पत्रिका-‘ओपन लर्निंग’ के जरिए विद्यार्थियों को प्रतिभा सम्पन्न बनाया जाता है। अध्ययन सामग्री हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में उपलब्ध कराई जाती है।

मध्याह्न भोजन योजना

- ☉ इस योजना के अंतर्गत सरकारी और सरकारी यहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष केंद्रों और सर्वशिक्षा अभियान के तहत आने वाले मदरसों के पहली से आठवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन दिया जाता है।
- ☉ देशभर की 11.40 लाख संस्थाओं के 9.78 करोड़ बच्चों को दोपहर का भोजन देने की यह विश्व की सबसे बड़ी विद्यालयीन भोजन योजना है।
- ☉ बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल में लाने और उनकी उपस्थिति बनाए रखने के अलावा मध्याह्न भोजन योजना के सामाजिक और स्त्री-पुरुष समानता को भी प्रोत्साहन मिला है।

मध्याह्न भोजन के मानक

- (I) मध्याह्न भोजन का कैलोरी मूल्य: पके हुए भोजन में 100 ग्राम गेहूं/चावल, 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी और 5 ग्राम तेल/चिकनाई शामिल होती है, जिससे प्राथमिक स्तर पर 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति होती है।
 - उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को जो भोजन दिया जाता है, उसमें 150 ग्राम गेहूं/चावल, 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्जी और 7.5 ग्राम तेल/चिकनाई होती है, जिससे 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति होती है।
- (II) एमडीएम योजना के अंतर्गत खाना पकाने की लागत: गैर-पूर्वोत्तर राज्यों और विधान सभाओं वाले केंद्रशासित प्रदेशों के लिए खाना पकाने का व्यय 60:40 के अनुपात में साझा किया जाता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में शत-प्रतिशत व्यय केंद्र द्वारा वहन किया जाता है।
पूर्वोत्तर के राज्यों और हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर तथा उत्तराखंड के तीन हिमालयी राज्यों में 90:10 के अनुपात में केंद्र और संबंधित राज्य खर्च उठाते हैं।

तिथि भोजन

- ☉ मध्याह्न, भोजन कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गुजरात राज्य में ‘तिथि भोजन’ के नाम से एक नई अवधारणा का सूत्रपात हुआ है।
- ☉ समाज की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों को बच्चे का जन्म, परीक्षा में सफलता, गृह प्रवेश जैसे महत्वपूर्ण पारिवारिक समारोहों को स्थानीय स्कूलों में दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन में योगदान देकर मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। समुदाय और परिवार स्वेच्छा से इसमें योगदान करते हैं।
- ☉ नियमित मध्याह्न भोजन के साथ मिठाई और नमकीन, पूर्ण भोजन, अंकुरित अनाज आदि जैसे पोषक आहार के रूप में योगदान करने के अलावा रसोई के बर्तन, डिनर सेट और पानी पीने के गिलास आदि का भी योगदान किया जाता है।
- ☉ सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से ‘तिथि भोजन’ की प्रथा को इसी नाम से अथवा राज्य सरकारों की इच्छा के अनुकूल नाम से अपनाने के लिए विचार करने का अनुरोध किया गया है।
- ☉ विभिन्न राज्यों ने अलग-अलग नाम इस अवधारणा को अपनाना शुरू कर दिया है।
- ☉ असम में ‘संप्रति भोजन’, हिमाचल प्रदेश में ‘धाम’, महाराष्ट्र में ‘स्नेह भोजन’, कर्नाटक में ‘शालेगागी नावू नीवू’, पुडुचेरी में, ‘अन दानम’, पंजाब में ‘प्रीति भोज’ और राजस्थान में ‘उत्सव भोज’ नाम से तिथि भोजन की परंपरा शुरू हो चुकी है।

बच्चों का शत-प्रतिशत आधार नामांकन

- ☉ विभाग ने सभी विद्यालयों में शत-प्रतिशत बच्चों के नामांकन के लिए अधिसूचना जारी की है।
- ☉ सेवाओं या लाभों या अनुदान (सब्सिडी) प्रदान करने के लिए आधार पहचान पत्र का उपयोग सरकारी प्रदाय प्रक्रियाओं को सरल बना देता है तथा पारदर्शिता और कार्य कुशलता लाता है।

मध्याह्न भोजन नियम

- ☉ मध्याह्न भोजन नियम 2015 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया गया है और वह सितंबर 2015 से प्रभावी हो गया है।
- ☉ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सभी पात्र स्कूलों को एमडीएम नियम 2015 के बारे में समझाने और उन्हें लागू करने के लिए परामर्श दिया गया है। उन्हें इन नियमों के अमल के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी सलाह दी गई है।
- ☉ सभी बच्चों को अच्छा भोजन कराने के उद्देश्य से नए मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूलों को क्रियान्वयन

के प्रभावी दिशा निर्देश तय करने को भी कहा गया है।

- ☛ मध्याह्न भोजन नियम, 2015 की मुख्य विशेषताएँ हैं—
 - (i) खाने के नमूने की जांच को अनिवार्य बनाकर, गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाना;
 - (ii) स्कूलों में एमडीएम निधि की अनुपलब्धता के मामले में अस्थायी रूप से अन्य निधियों के उपयोग की अनुमति देकर नियमितता को सुदृढ़ बनाना और स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराने में लगातार विफलता के लिए जवाबदेही तय करना;
 - (iii) बीपीएल दरों, चावल के लिए 5.65 रुपये और गेहूँ के लिए 4.15 रुपये के स्थान पर एनएफएसए दरों यानी 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल और 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूँ की आपूर्ति।
 - (iv) यदि खाद्यान्न की अनुपलब्धता, खाना पकाने की लागत, ईंधन अथवा रसोइया सह-सहायक की अनुपलब्धता अथवा अन्य किसी कारण से किसी दिन स्कूल में मध्याह्न भोजन नहीं दिया जाता है तो संबंधित राज्य सरकार को खाद्य सुरक्षा भत्ता देना होगा।

खाद्य नमूनों की जांच

- ☛ मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्कूलों में परोसे जाने वाले भोजन की जांच के लिए राज्य सरकार ने काम पर रखी जाने वाली अधिमान्य प्रयोगशालाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

सोशल ऑडिट

- ☛ इस प्रक्रिया में लोग मिलजुल कर किसी कार्यक्रम या योजना की आयोजना तथा कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करते हैं।
- ☛ सोशल ऑडिट जवाबदेही तथा पारदर्शिता समिति ने 2012-13 के दौरान अविभाजित आंध्र प्रदेश के चित्तूर तथा खम्मम जिलों में किया था।
- ☛ इसके नतीजों से उत्साहित होकर मध्याह्न भोजन योजना का सोशल ऑडिट कराने के लिए 2014 में विभाग ने विस्तृत निर्देश जारी किए।
- ☛ अब तक तेरह राज्य यह सोशल ऑडिट पूरा कर चुके हैं। ये राज्य हैं—बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिजोरम और तमिलनाडु।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

- ☛ स्वतंत्रता के बाद से देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि है। स्वतंत्रता के समय देश में कुल 20 विश्वविद्यालय

और 500 कॉलेज थे।

- ☛ कॉलेजों की संख्या में 77 गुनी (अर्थात 38,498) और विश्वविद्यालयों की संख्या में 38 गुनी (अर्थात 760) वृद्धि हुई है।
- ☛ इसी प्रकार, दाखिलों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग संरचना

- ☛ इसकी शुरुआत अभिभावकों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षण संस्थानों और अन्य हित साधकों की निष्पक्ष पैमानों और पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर संस्थाओं की रैंकिंग तय किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए की गई थी।

राष्ट्रीय अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी

- ☛ देश की अनुसंधान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए दस गोल पोस्ट की पहचान की गई है और प्रत्येक के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाने के वास्ते अनुसंधान समूह बनाए जा रहे हैं।
- ☛ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी और आईएससी जैसे अग्रणी संस्थानों का चयन किया गया है।

बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़

- ☛ यूजीसी ने राष्ट्रीय कौशल पात्रता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत डिप्लोमा/एडवांस्ड डिप्लोमा के बहु-निकास के विविध पाठ्यक्रमों वाली बी. वोक डिग्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके उद्देश्य हैं—
 - (i) युवाओं को रोजगार पाने की क्षमता में वृद्धि करना।
 - (ii) बहु-प्रवेश और बहु-निकास के अध्ययन अवसरों और उर्ध्व गतिशीलता के प्रावधानों के जरिए उनकी प्रतियोगी क्षमता बनाए रखना।
 - (iii) शिक्षित और रोजगार योग्य लोगों के बीच के अंतर को दूर करना और
 - (iv) माध्यमिक स्तर पर स्कूल पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करना।
 - (v) 25 राज्यों के 2,035 स्कूल इस योजना पर अमल कर रहे हैं।

युवाओं की व्यावसायिक उन्नति हेतु कौशल आकलन मैट्रिक्स

- ☛ एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली और वर्तमान शिक्षा प्रणालियों के बीच उर्ध्व (ऊपर की ओर) तथा पार्श्विक गतिशीलता को सुगम बनाता है।
- ☛ शैक्षिक ज्ञान और व्यावहारिक-व्यावसायिक कौशल की प्रगति

के प्रयासों का निर्बाध एकीकरण ही इस फ्रेमवर्क की शक्ति है।

- शिक्षा क्षेत्र कौशल परिषद: शिक्षा क्षेत्र कौशल परिषद का गठन 2014 में शैक्षणिक संकायों और शिक्षक की योग्यता से इतर रोजगार की भूमिका पर विचार करने के लिए किया गया था।
- एसएससी के कार्यों में सम्मिलित हैं, श्रम बाजार सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) का गठन ताकि कौशल विकास की जरूरतों की पहचान कर प्रशिक्षण की योजना बनाई और प्रदान की जा सके तथा कौशल के प्रकारों का कैटलॉग तैयार किया जा सके, कौशल विकास योजना तैयार करना और कौशल इवेंट्री बना कर रखना, कौशल दक्षता मानकों और योग्यताओं का विकास करना।

सक्षम-दिव्यांग बच्चों हेतु सक्षम छात्रवृत्ति

- ❑ एआईसीटीई की इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को तकनीकी शिक्षा के अध्ययन के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना है।
- ❑ एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जरूरतमंद और मेधावी छात्रों को शिक्षण शुल्क और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों हेतु ईशान उदय

- ❑ यूजीसी ने 2014-15 के शिक्षा सत्र से पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के लिए 'ईशान उदय' नाम की एक विशेष छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है।
- ❑ योजना में क्षेत्र के उन 10,000 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी जिनके अभिभावकों की आय 4.5 लाख रुपये वार्षिक से कम है।

ईशान विकास-पूर्वोत्तर के छात्रों हेतु शैक्षणिक अवसर

- ❑ यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर राज्यों के कॉलेज और स्कूलों के चुनिंदा छात्रों को उनके लंबे अवकाश के दौरान आईआईटी एवं आईटी और आईएसआईआर संस्थानों के निकट संपर्क में लाने की योजना के तहत शुरू किया गया है ताकि उन्हें शिक्षा के बेहतर अवसरों का ज्ञान हो सके।

महिला नेता

- महिलाओं को शीर्ष तकनीक शिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के संचालक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- इतिहास में पहली बार दो महिला वैज्ञानिकों को आईआईटी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है।

प्रगति

- ❑ प्रगति (छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति) एआईसीटीई की एक योजना है, जिसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी में वृद्धि करना है।
- ❑ विकास प्रक्रिया में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है।
- ❑ यह 'तकनीकी शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण' द्वारा प्रत्येक युवती को अपनी शिक्षा को और आगे ले जाने का अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है।

स्वामी विवेकानंद एकल बालिका छात्रवृत्ति

- ❑ शिक्षा के अनेक स्तरों पर बालिकाओं द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने का अनुपात बालकों की तुलना में कहीं अधिक है।
- ❑ महिला शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद के विचारों को ध्यान में रखते हुए और बालिका शिक्षा के संवर्धन के लिए यूजीसी ने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध के लिए स्वामी विवेकानंद एकल बालिका छात्रवृत्ति शुरू की है।
- ❑ इसका उद्देश्य विशेष रूप से उन लड़कियों की उच्च शिक्षा के खर्च की सीधे-सीधे प्रतिपूर्ति करना है जो अपने परिवार की एकमात्र संतान हैं।

अपना कॉलेज जानो

- ❑ अपना कॉलेज जानो (नो योर कॉलेज) एक ऐसा पोर्टल है जो कॉलेजों के बारे में आवश्यक जानकारी देकर छात्रों को कॉलेज के चयन संबंधी निर्णय लेने में मदद करता है।
- ❑ सहयोग, मोबाइल, शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, सामुदायिक कॉलेज आईसीटी का उपयोग, आदर्श पाठ्यचर्या और अनुसंधान जैसे विवरण इस पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगों हेतु सुविधाएं, स्थापन (प्लेसमेंट) सुविधाएं और उद्यमिता के विवरण भी उपलब्ध हैं।

कैंपस कनेक्ट

- राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकीय शिक्षा मिशन (एनएमआईसीटी) योजना का उद्देश्य अध्यापन और अध्ययन की प्रक्रियाओं के लिए आईसीटी की संभावनाओं का लाभ उठाना है। इस मिशन के प्रमुख अंग हैं:
 - (क) सामग्री सृजन
 - (ख) संस्थाओं और छात्रों को इसके लिए आवश्यक यंत्र प्रदान करने के साथ संपर्क सुविधा प्रदान करना।

शैक्षणिक नेटवर्क हेतु वैश्विक पहल

- शैक्षणिक नेटवर्क हेतु वैश्विक पहल ज्ञान (जीआईएन) का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक और उद्यमी प्रतिभाओं की खोज कर उन्हें उच्च अध्ययन के भारतीय संस्थानों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है।

अनुसंधान पार्क

- अनुसंधान पार्क का उद्देश्य उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग से ज्ञान और नवाचार की पर्यावरण प्रणाली कायम करना है ताकि वैश्विक स्तर से भी बेहतर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार का विकास हो सके।

संख्यात्मक नवाचार में बढ़ती प्रवृत्ति और प्रशिक्षण

- महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जन्मशती के अवसर पर सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में संख्यात्मक नवाचार में बढ़ती प्रवृत्ति और प्रशिक्षण (जीएनआईटी) 'सप्ताह' मनाया गया। इसका उद्देश्य गणित में छात्रों की रुचि को सक्रियता से बढ़ावा देना था।
- वैज्ञानिकों द्वारा गणित पर व्याख्यान, निबंध लेखन प्रतियोगिताएं, विज्ञान प्रतियोगिताएं, शिक्षकों और छात्रों द्वारा नवाचार पर अनुभवों का आदान-प्रदान, विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित फिल्मों का प्रदर्शन, ओरिगेमी एवं पोस्टर प्रतियोगिताओं के आयोजन के बाद सप्ताह का औपचारिक समापन समारोहपूर्वक हुआ।

कॉपीराइट

- कॉपीराइट प्राप्त करना स्वचालित प्रक्रिया है और इसके लिए किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं है।
- किसी भी कृति का सृजन होते ही कॉपीराइट अस्तित्व में आ जाता है और इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है।
- कॉपीराइट कार्यालय की स्थापना 1958 में की गई थी। यह उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
- इसकी अध्यक्षता कॉपीराइट पंजीयक करता है, जिसके पास कॉपीराइट संबंधी मामलों से निपटने की अर्द्धन्यायिक शक्तियां होती हैं। कॉपीराइट कार्यालय का मुख्य काम कॉपीराइट का पंजीकरण करना है।
- कॉपीराइट कार्यालय द्वारा तैयार किया गया कॉपीराइट रजिस्टर आम लोगों को कॉपीराइट के काम के बारे में जानकारी देता है।
- कॉपीराइट कानून 1957 के अनुच्छेद-13 के अनुसार कॉपीराइट निम्नलिखित वर्गों या कार्यों में निहित होता है:

(क) मौलिक साहित्यिक, सॉफ्टवेयर, संगीतिक और कलात्मक कार्य,

(ख) सिनेमैटोग्राफिक फिल्म और

(ग) साउंड रिकॉर्डिंग।

- कॉपीराइट पंजीकरण हेतु प्रक्रिया:** अधिनियम कॉपीराइट 1957 की धारा 45 के तहत कॉपीराइट रजिस्टर में कार्य के ब्योरे को शामिल करने के लिए लेखक या प्रकाशक या कॉपीराइट मालिक या किसी भी काम के कॉपीराइट का इच्छुक व्यक्ति निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में निवेदन कर सकता है।
- कॉपीराइट कार्यालय सभी प्रकार के कार्यों के लिए पंजीकरण सुविधा मुहैया कराता है।
- कॉपीराइट कार्यालय का आधुनिकीकरण:** ई-फाइलिंग सुविधा की शुरुआत 2014 में की गई और नई तरह से डिजाइन किए गए प्रमाण-पत्र के साथ कॉपीराइट का नया लोगों भी प्रयोग किया जा रहा है।
- कॉपीराइट रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण भी जल्दी शुरू किया जा रहा है। लगभग 6 लाख कॉपीराइट रजिस्ट्रों को स्कैन किया जा चुका है।
- अर्द्धन्यायिक निकाय कॉपीराइट बोर्ड का गठन सितंबर 1958 में किया गया और यह अंशकालिक आधार पर कार्य कर रहा था। कॉपीराइट बोर्ड का अधिकार क्षेत्र पूरा भारत है।
- बोर्ड को कॉपीराइट पंजीकरण और कॉपीराइट निर्धारण संबंधी विवादों को निपटाने, पंजीकरण में सुधार, सरकार द्वारा रोके गए कार्य के संबंध में अनिवार्य लाइसेंस की मंजूरी, अप्रकाशित भारतीय कार्य, दिव्यांगों के लाभ के लिए अनुवादों का प्रकाशन तथा उत्पादन और विशेष मकसद के कार्यों के मामले में निर्णय लेने का काम सौंपा गया है।
- कॉपीराइट बोर्ड, कवर संस्करण और साहित्यिक एवं संगीतमय कार्यों के प्रसारण और साउंड रिकॉर्डिंग के वैधानिक लाइसेंसों के लिए अधिशुल्क की दरें भी तय करता है।
- बोर्ड कॉपीराइट कानून 1957 के तहत इसके सामने लाए गए अन्य मामलों में भी सुनवाई करता है।
- कॉपीराइट (संशोधन) कानून 2012 के तहत कॉपीराइट बोर्ड के तीन स्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य हैं।

□□□

परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

- संविधान का 86वाँ संशोधन अधिनियम 2002 संविधान में अनुच्छेद 21ए स्थापित करता है जो कि 6-14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।
- प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जिम्मेदार हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 व 2 दोनों
- न तो 1 न ही 2

2. सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

- यह योजना शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए चलाई जा रही है।
- अभियान के अन्तर्गत बच्चों को नजदीकी विद्यालय में उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
- सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए मानव संसाधन मंत्रालय एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त प्रयास के रूप में शगुन पोर्टल प्रारंभ किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 व 2
- 1, 2 व 3

3. मध्यान्ह भोजन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- यह योजना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी विद्यालयाधीन भोजन योजना है।
- योजना के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं में छात्र छात्राओं को दोपहर तक भोजन दिया जाता है।

- यदि किसी कारणवश किसी दिन बच्चों को विद्यालय में मध्यान्ह भोजन प्राप्त नहीं होता तो संबंधित राज्य सरकार को खाद्य सुरक्षा भत्ता देना होता है।

कूट:

- 1 व 2
- केवल 2 व 3
- केवल 3
- 1, 2 व 3

4. सामाजिक अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं-

- लोगों द्वारा सामूहिक रूप से किसी कार्यक्रम अथवा योजना की निगरानी और नियोजन तथा क्रियान्वयन का मूल्यांकन
- सामाजिक सशक्तिकरण परियोजनाओं का स्वतंत्र एजेंसी द्वारा प्रगति मूल्यांकन
- किसी परियोजना का इस दृष्टि से मूल्यांकन कि वह सामाजिक सशक्तिकरण में कितनी सहायक सिद्ध हुई है या भविष्य में होने की संभावना है।
- विभिन्न परियोजनाओं का किसी और सरकारी संगठन द्वारा मूल्यांकन किया जाना

5. स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय पहल किससे संबंधित है-

- विद्यालयों के चारों ओर वृक्षारोपण द्वारा आस-पास के वातावरण को प्रदूषण रहित बनाना
- सभी शासकीय स्कूलों में एक वर्ष के अन्दर छात्रों व छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय निर्मित कराना
- (a) और (b) दोनों
- न तो (a) न ही (b)

6. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से डिजिटल जेंडर एटलस के विषय में सही है/हैं?

- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा बालिकाओं की शिक्षा की प्रगति के लिए डिजिटल जेंडर एटलस जारी किया गया था।
- यह एटलस विकलांगता सहित अन्य प्रकार के कमजोर वर्गों की लड़कियों पर ध्यान देते हुए समान शिक्षा को चिन्हित करने और उसे सुनिश्चित करने में मदद करता है।

3. यह एटलस मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है
- कूट
- (a) 1 व 2
(b) 2 व 3
(c) 1 व 3
(d) 1, 2 व 3
7. राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए-
1. यह भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अपनाई गई पद्धति है।
2. यह फ्रेमवर्क विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार किया गया है।
3. भारत के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए बाध्यकारी है कि वे इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत अपनी रैंकिंग करवाएँ
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) 1 व 2
(b) 2 व 3
(c) 1 व 3
(d) 1, 2 व 3
8. हाल ही में समाचारों में रहा 'स्वयम' (Swayam) है-
- (a) दिव्यांगों के अधिकारों संबंधी पोर्टल
(b) एक आनलाइन पाठ्यक्रम जो सर्वसुलभ है
(c) ईज आफ डुईंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए कंपनियों को स्वतः पंजीकरण करने का पोर्टल
(d) कौशल विकास मंत्रालय की नई योजना जिसमें 2 करोड़ युवाओं की प्रशिक्षित किया जाएगा।
9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में साक्षरता दर 75% है।
2. भारत सरकार द्वारा बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए कर्ज संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए विद्यालक्ष्मी नामक वेब पोर्टल तैयार किया गया है।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2

Answer Key:-

- | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. (a) | 2. (c) | 3. (b) | 4. (a) | 5. (b) | 6. (a) |
| 7. (a) | 8. (b) | 9. (c) | | | |